भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़ ,विशेष आर्थिक क्षेत्र -
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400096
.फैक्स नं 28291754
ई-मेल- dcseepz_mah@nic.in, वेबसाइटः www.seepz.gov.in

****

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/एएसटी/393/2016-17/ दिनांकः 18 अक्टूबर, 2016

विषयः सीप्ज़-सेज़ में प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में ।

सीप्ज़ प्राधिकरण सरकारी एसडीएफ भवन में निम्नलिखित परिसर आबंटित किए जाने के संबंध में आवेदन आमंत्रित करता है । जो उद्यमी रत्न एवं आभूषण / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर / कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में सेज़ सेवाओं के तहत निर्यातोन्मुख प्रोजेक्ट स्थापित करने के इच्छुक हों, वे निर्मित स्थान जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के अनुसार आवेदन कर सकते हैं :

क्र.सं.	यूनिट नं.	एसडीएफ नं.	स्कवायर मीटर में निर्मित क्षेत्र
1.	17	एसडीएफ - I	823 स्कवायर मीटर
2.	93 सी	एसडीएफ - III	46 स्कवायर मीटर
3.	185 सी	एसडीएफ - VI	288 स्कवायर मीटर

प्रोजेक्ट स्थापित करने के संबंध में आवेदन आवश्यक समर्थित दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म एफ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । उक्त निर्धारित फॉर्म sezindia.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

आवेदनों की पात्रता निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी । तथापि, ऐसे मानदंडों को वरीयता दी जाएगी जो सेज़ अधिनियम तथा नियमों के उद्देशों के अनुकूल हों ।

- निर्यात अनुमान
- प्रकल्पित निवेश
- प्रकल्पित रोजगार

- एक ही स्थान पर यूनिटों के समेकन पर विचार किया जाएगा
- नया / नवाचारी उत्पादों / यूनिट पर विचार किया जाएगा
- बिज़नेस प्लान के आधार पर समूह में कंपनी को वरीयता दी जाएगी यदि उनकी अन्य कंपनियों ने यूनिट सरेंडर किए हों
- यूनिट स्थान के लिए अपनी पसंद का उल्लेख कर सकते हैं तथापि आबंटन उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा
- अन्य कोई मानदंड जो प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए
- मौजूदा यूनिट जिनके पास सरकारी एसडीएफ में 35,000 स्कवायर फीट से अधिक का स्थान हो, को दीर्घकालिक पट्टे परिसर के लिए उत्साहित किया जाए तथा ऐसे आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास सरकारी एसडीएफ में 35,000 स्कवायर फीट से कम का स्थान हों
- निर्यात अनुमान स्वीकार करने के पूर्व यूनिट के पिछले प्रत्यय की भी जांच की जाएगी

अपेक्षित सूचना के साथ फॉर्म एफ में (बिना पांच हजार रूपए के डिमांड ड्राफ्ट के) प्रस्तुत किए जाएं । निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त होने वाले आवेदनों की समिति द्वारा जांच की जाएगी । पात्र आवेदकों को स्थान आबंटित किया जाएगा । अंतिम आबंटन यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन पत्र स्वीकृत किए जाने के बाद ही किया जाएगा ।

यदि आवेदक मौजूदा सीप्ज़ यूनिट है तो उसे वर्ष **2015-16** के दौरान वास्तविक किए गए निर्यात तथा रोजगार का विवरण देना होगा । यदि आवेदन मौजूदा अनुमोदन पत्र के अधीन क्रियाकलापों के विस्तार के लिए दिया गया है, तो उसे वर्ष **2015-16** के दौरान किए गए वास्तविक निर्यात, एनएफई तथा रोजगार के अतिरिक्त अगले पाचं वर्षों में प्रकल्पित अतिरिक्त निर्यात, एनएफई तथा रोजगार आदि का विवरण भी देना होगा ।

1. फॉर्म एफ में आवेदन जोकि श्री वी.पी. शुक्ल, प्रबंधक संपदा / संयुक्त विकास आयुक्त, द्वितीय तल सर्विस सेंटर बिल्डिंग, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093 को संबोधित हो तथा जो मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया हो, कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा दस्ती तौर पर अथवा स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा भेजा जा सकता है । मोहरबंद लिफाफे के ऊपर यह लिखा गया हो **"सीप्ज़-सेज़ में स्थान का आबंटन"** लिफाफा सीप्ज़ सर्विस सेंटर के भूमितल पर रखे निविदा पेटी में डाला जाए ।

2. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख <u>11 नवंबर, 2016 के सायं 5.00 बजे तक है ।</u> इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा अपूर्ण आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संपदा प्रबंधक /
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण-